उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–2
संख्याः 1085/IV(2)- श0वि0–2021–05(सा0)/2021
देहरादूनः दिनांक 03, सितम्बर,2021

अधिसूचना

राज्यपाल उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 296 और उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 153 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड के समस्त शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतों हेतु उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर पालिका लेखा संहिता और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर निगम लेखा नियमों के समस्त विद्यमान नियमों को अधिक्रमित करते हुए लेखा प्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित मैनुअल बनाते हैं।

उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021

(लेखाप्रक्रिया, नियम और निर्देश)

अध्याय–एक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021 है। यह उत्तराखण्ड प्रदेश की समस्त शहरी स्थानीय निकाय नगर निगम, नगर पालिका परिषदें तथा नगर पंचायतों पर लागू होंगे।

(ख) उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021 सभी शहरी स्थानीय निकायों में दिनांक 31 मार्च, 2021 से लागू होगा। उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021 के अनुसार ही वित्तीय वर्ष 2020–21 के लेखे एवं आगामी वित्तीय वर्षों के लेखे भी इसी मैनुअल के अनुरूप तैयार किये जायेंगे।

2. परिभाषाएं

2.1 विषय या सदर्भ में, जब तक कोई अन्य बात न हो, इन नियमों में :–

(क) राज्यपाल से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है।

(ख) सरकार से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है ।

(ग) निगम से उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 04 के अधीन गठित नगर निगम अभिप्रेत है।

(घ) नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत से उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 03 की उपधारा (1) के अधीन गठित नगर निगम अभिप्रेत है।

(ड) स्थानीय नगर निकाय में उत्तराखण्ड राज्य की समस्त नगर निगम, नगर पालिका परिषद् तथा नगर पंचायत अभिप्रेत है ।

(च)'अधिनियमों'' से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर निगम अधिनियम, 1959 अभिप्रेत है,

(छ)''लेखा अधिकारी'' से ऐसा अधिकारी या नगर निगम का कोई अधिकारी, जो कि लेखा अभिलेखों को समुचित रुप से अनुरक्षित करने के लिए उत्तरदायी हो, अभिप्रेत है। राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा वित्त सेवा के किसी अधिकारी को, या नगर निगम के ऐसे अधिकारी जिसके पास लेखा अनुरक्षित रखने और नियम के अनुभव का पर्याप्त ज्ञान हो, को लेखा अधिकारी के दायित्वों में से कोई दायित्व के लिए अधिकृत कर सकता है और इन परिस्थितियों में इन नियमों के प्रयोजनों के लिए ऐसा व्यक्ति लेखा अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन करेगा,

(ग)''बैंक'' से तात्पर्य राष्ट्रीयकृत बैंक एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित अन्य बैंक से है।

3. लेखों की पुस्तिकाएं

3.1 इस अध्याय में अनुरक्षित किए जाने वाले लेखों की पुस्तिका एवं दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली एकुअल आधारित लेखों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुरक्षित किया जायेगा।

3.2 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा की पुस्तिकाएं अलग से अनुरक्षित की जायेंगी।

3.3 निकायों द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के रोकड बही, बही खाता, भण्डार पुस्तिका आदि समस्त अभिलेख उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021 में तैयार प्रपत्रों में रखे जायेंगे।

3.4 निकायों द्वारा नियमावली में तैयार अभिलेख रोकड बही, मांग–वसूली, भण्डार पुस्तिका, परिसम्पतियों आदि को ऑन लाईन साफ्टवेयर में अद्यावधिक रखा जायेगा ।

3.5 निकाय द्वारा उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउण्टिग मैनुअल, 2021 की लेखांकन प्रकिया के अनुसार डबल एंन्ट्री सिस्टम में लेखाकंन के नियमों के अनुसार रोकड बही रखी जायेगी ।

3.6 निकाय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से 31 मार्च तक के लेखे दोहरी लेखा प्रणाली में रखते हुए निर्धारित प्रपत्रों पर तुलन पत्र तैयार कर रखा जायेगा।

4. उत्तराखण्ड म्यूनिसिपल एकाउन्टिंग मैनुअल, 2021 इस अधिसूचना के साथ प्रकाशित समझा जाय।

(शैलेश बगौली)
सचिव

संख्या–1085,(1)/IV(2)- श0वि0–2021–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को अपने असाधारण गजट के अग्रिम अंक में विधायी परिशिष्ट मे प्रकाशित कर गजट की 50–50 मुद्रित प्रतियां निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, 31/62 राजपुर रोड देहरादून तथा शहरी विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
उप सचिव।

संख्या–1085,(1)/ IV(2)- श0वि0–2021–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 शहरी विकास मंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी एवं मा0 शहरी विकास मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. सचिव, श्री राज्यपाल को श्री राज्यपाल महोदय को सूचनार्थ।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. सचिव, गोपन (मंत्रि परिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त मेयर /अध्यक्ष , नगरनिगम, नगर पांलिका परिषद् एवं नगर पंचायतें , उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य नगर अधिकारी,/ नगर आयुक्त नगर निगम उत्तराखण्ड।
12. समस्त, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदें एवं नगर पंचायतें उत्तराखण्ड
13. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
उप सचिव।